न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 44 / 2025	2025 / 297	30.06.2025	25.03.2026

–उनवान–

1. राज्य सरकार जरिये उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (मिशन) कार्यालय सयुक्त निदेशक कृति (वि०) जिला परिषद, अलवर।

–प्रार्थी

बनाम

1. दिलीप कुमार मित्तल पुत्र श्री अनिल कुमार मित्तल जाति महाजन उम्र 34 निवासी 140 आदर्श कॉलोनी दाऊदपुर जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः–
01. कृषि अधिकारी –विभागीय प्रतिनिधि

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत औद्योगिक उपयोग के लिए प्रतिबंधित जब्त यूरिया उर्वरक मात्रा 66X45 kg को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 (A) प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी ने यह 6ए प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 23.06.2025 को बख्तल की चौकी के आगे अलवर–भरतपुर रोड भारत पेट्रोल पम्प के पीछे गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यहां डिजल एग्जोस्ट फ्लूड बनाने वाली कम्पनी द्वारा अवैध रूप से कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले यूरिया का उपयोग औद्योगिक उत्पाद बनाने में किया जा रहा है। उक्त यूरिया बैग पर भारत यूरिया उत्पादन एवं विपणनकर्ता हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लि0 अकित पाया गया जो कि कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता है। उक्त उर्वरक का नमूना आहरण कर विश्लेषण हेतु राजकीय उर्वरक प्रयोगशाला मिजवाया जा रहा है। जिसका नमूना कोड AOM/F/2025-26/004 है।

टीम के सदस्य श्री संदीप कुमार शर्मा उप परियोजना निदेशक (आत्मा) अलवर के साथ दिनांक 23.06.2025 को लगभग दोपहर 12:00 बजे मौके पर जाकर उक्त नीम कोटेड यूरिया मात्रा (66X45 kg) एवं मौके पर मिले 08 खाली यूरिया बैगों की जब्ती की गई। जब्त उर्वरक एवं खाली यूरिया बैगों को दी कैमाला ग्राम सेवा सहकारी रामिति लि0, कैमाला उमरैण, अलवर के व्यवस्थापक श्री महेश कुमार धवन पुत्र श्री मोहनलाल घवन जाति खत्री उम्र 60 निवासी सुभाष नगर, अलवर को सुपुर्द किया गया है।

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28(1)(डी) के तहत सीजर नोटिस देकर उपलब्ध स्टॉक को जब्त किया गया। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लोज 25 के तहत उक्त नीम कोटेड यूरिया की दिनाक 23.06.2025 को जब्ती की गई। शपथ पत्र फर्द जब्ती, नोटिस, मौका नक्शा आदि तैयार किये गये।

फर्म के प्रतिनिधि श्री दिलीप कुमार मित्तल पुत्र श्री अनिल कुमार मित्तल जाति महाजन उम्र 34 निवासी 140 आदर्श कॉलोनी दाऊदपुर जिला अलवर के विरूद्ध पुलिस थाना उद्योग नगर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट संलग्न है। उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) के तहत जब्त उर्वरक को नमूने की विश्लेषण रिपोर्ट आने पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

या उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत राजसात करने एवं निस्तारण की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र पेश है।

अप्रार्थी को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता बावजूद रजि0 तलबी/तामील के अनुपस्थित। अप्रार्थी का जवाब बंद किया गया। प्रार्थी/विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, फर्द जब्ती, फर्द सुपुर्दगीनामा और कृषि अधिकारी के प्रतिवेदन का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थी की बहस पर चिंतन–मनन किया गया। प्रार्थी के अनुसार बख्तल की चौकी के आगे अलवर–भरतपुर रोड भारत पेट्रोल पम्प के पीछे गोदाम स्थित डिजल एग्जोस्ट फ्लूड बनाने वाली कम्पनी द्वारा अवैध रूप से कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले यूरिया का उपयोग औद्योगिक उत्पाद बनाने में किया जा रहा था। उक्त यूरिया बैग पर भारत यूरिया उत्पादन एवं विपणनकर्ता हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लि0 अंकित पाया गया जो कि कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता है। प्रार्थी द्वारा उक्त उर्वरक का नमूना आहरण कर विश्लेषण हेतु राजकीय उर्वरक प्रयोगशाला भिजवाया गया, जिसका नमूना कोड AOM/F/2025-26/004 है। मौके पर जाकर उक्त नीम कोटेड यूरिया मात्रा (66X45 kg) एवं मौके पर मिले 08 खाली यूरिया बैगों की जब्ती की गई। जहां तक उर्वरक के मानक का प्रश्न है। पत्रावली में संलग्न STATE FERTILIZER TESTING LABORATORY, NANTA FARM KOTA की विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक 1089–91 दिनांक 15.07.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जब्तशुदा यूरिया अमानक पाया गया है तथा उसमें 'नीम ऑयल कंटेंट' (Neem Oil Content) की पुष्टि हुई है। इससे यह सिद्ध होता है कि जब्त किया गया यूरिया कृषि उपयोग हेतु 'नीम कोटेड यूरिया' ही है, जिसका अवैध रूप से औद्योगिक कार्यों में उपयोग किया जा रहा था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती है कि जब्त सामग्री कृषि उपयोग वाला नीम कोटेड यूरिया है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत कृषि कार्य हेतु अनुदानित यूरिया का औद्योगिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दंडनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाता है। जब्त की गई कृषि यूरिया की मात्रा (66 बैग प्रत्येक 45 किलोग्राम) एवं मौके पर मिले 08 खाली यूरिया बैगों को पूर्ण रूप से राजसात किया जाता है। उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (मिशन) कार्यालय सयुक्त निदेशक कृति (वि०) जिला परिषद, अलवर को निर्देशित किया जाता है कि वे राजसात किए गए उक्त उर्वरक को सुपुर्दगार से प्राप्त करें एवं विधिवत कार्यवाही कर राजसात/निस्तारण की नियामानुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (मिशन) कार्यालय सयुक्त निदेशक कृति (वि०) जिला परिषद, अलवर (राज0) को पालनार्थ भिजवाई जावें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बीना महावर)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम),
अलवर (राजस्थान)